न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सं. 08/2020 दर्ज दिनांक–14.07.2020

बजरंगलाल पुत्र गोरूराम जाति– जाट निवासी पबाना

– वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत पबाना जरिये सरपंच
2. मदनलाल पुत्र गोरूराम जाति–जाट निवासी पबाना
3. कमला देवी पुत्री गोरूराम जाति–जाट निवासी पबाना
4. करतार सिंह पुत्र भैरसिंह
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भैरसिंह
6. संदीप कुमार पुत्र भैरसिंह
7. भगवती देवी पत्नी भैरसिंह जाति– जाट निवासीगण पबाना तहसील नवलगढ़
8. यूको बैंक शाखा डून्डलोद जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा डून्डलोद
9. लैण्ड होल्डर जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील मुकुन्दगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड
वकील प्रति. :– श्री दिपेन्द्र जाखड़

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20/12/2019 नामान्तकरण सं. 1881 सरपंच ग्राम पंचायत पबाना पंचायत समिति नवलगढ़

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 15.03.2021

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि,ग्राम पबाना पटवार हल्का पबाना उप तहसील मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ की सरहद मे खाता सं. नया 83 के अन्तर्गत खसरा नं. 377 रकबा 1.09 है0, ख0नं0 451 रकबा 2.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.15 है0 जिसकी खातेदारी पूर्व मे आवेदक के पिता स्व0 गोरूराम के नाम से दर्जशुदा चली आ रही है। स्व0 गोरूराम के नाम तक जमाबन्दी मे खातेदारी सही रूप से दर्ज रही है।

स्व0 गोरूराम द्वारा छोडी गई भूमि मे रेस्पोडेन्ट नं. 2 का हिस्सा 1/4 व रेस्पोडेन्ट नं. 3 का हिस्सा 1/4 व रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 तथा अपीलान्ट का हिस्सा 1/4 है। गोरूराम की पत्नी चावली देवी का देहान्त हो चुका है तथा स्व0 गोरूराम के जीवन काल मे एक पुत्र भैरसिंह का भी

उपखण्ड अधि... नवलगढ़

...ास हो चुका है, जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 7 हैं। स्व0 गोरूराम के स्वर्गवास उपरान्त नामान्तकरण संख्या 1881 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया, जिसमे पटवारी हल्का ने 1/4 के स्थान पर 1/7 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया , जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगायत 7 का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो गया। इस प्रकार दिनांक 20/12/2019 को उक्त नामान्तकरण को ग्राम पंचायत (अधनस्थ न्यायालय) ने अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये व सुनवाई का कोई अवसर दिये तथा पटवारी की गलती से हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था। स्व0 गोरूराम की अन्य भूमि ख.नं. 1009/289 रकबा 1.10 है0 , खसरा नं. 1011/298 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 1013/209 रकबा रकबा 0.05 है0, ख नं. 131 रकबा 1.08 है0 कुल किता 4 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम पबाना मे राजस्व रिकार्ड सही रूप से 1/4–1/4 दर्जशुदा है, परन्तु अपीलाधीन ख.नं. 377,451 का राजस्व रिकाड्र गलत दर्ज कर दिया जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत है।

1. अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नं. 1 का आदेश दिनांक 20/12/2019 खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है।
2. हिस्सा गलत दर्ज कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है, इसलिये अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 20/12/2019 निरस्त योग्य है।
3. अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सूचना देकर नही सुना, ना ही मौके का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। अतः विधि विरूद्व होने से निर्णय दिनांक 20/12/2019 निरस्त योग्य है।
4. अपीलान्ट बैंक से लोन लेने हेतु पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल दिनांक 9/7/2020 को प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकार्ड का इल्म हुआ कि नामान्तकरण संख्या 1881 दिनांक 20/12/2019 मे पटवारी हल्का ने हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/7 गलत दर्ज कर दिया है। यह अपील जानकारी के रोज से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी किसी कारण वश अपील अन्दर मियाद नही मानी जाती है तो दफा 5 मियाद अधिनियम कि दरखास्त पृथक से प्रस्तुत है।

इत्यादी पर अपील पेश होने पर दर्ज पंजीका की जाकर अनावेदकगण को नोटिस जारी किये गये। अनावेदक सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री दिपेन्द्र सिह वास्ते पैरवी उपस्थित आये। शेष अनावेदक बावजूद सम्यक तामिल उपस्थित नही है। वकील पक्षकारान द्वारा जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस प्रस्तुत करने पर सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने तथा बहस पक्षकारान सुनने पर यह जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा अपने पारित निर्णय 20/12/2019 मे पक्षकरानो को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण सं. 1881 दर्ज कर निर्णय पारित किया है जे विधि विरूद्व व त्रुटीपूर्ण है। अतःअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

उपखण्ड अधि...
...गढ़

Scanned by CamScanner

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 1881 दर्ज कर पारित किये निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि, दोनो पक्षो की विधिवत सुनवाई कर विधिसम्मत निणर्य पारित करे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15.03.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुंझुनू

Scanned by CamScanner